

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

O.A. No. 695 of 2024

IN THE MATTER OF:

Shyam Ji Mishra

...Applicant


Versus

State of Uttar Pradesh

...Respondents

Index

S.No.	Particular	Page No.
1	Reply on behalf of Divisional Forest Officer, Sonebhadra	1-4
2.	Annexures -A Report from department.	5-11
3.	Annexure -B Gazette notification showing land in question is not a forest land.	12-19
4	Annexure -C A copy of certified extract of the Khatauni	20-21
5	Annexure- D the detailed list 4191 trees.	22-27
6	Annexure -E. The detailed list of the 1,156 trees	28



प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

7	Annexure-F. A copy of request for permission to fell 4,191 trees located in Sectors 5, 6, and 7 of Obra Colony.	29-30
8	Annexure- G A copy of this permission letter.	31
9	Annexure-H & I Copies of the permission requests and the permissions granted respectively.	32-34

Through

Date: 12.11.2024

Place: New Delhi


 प्रभागीय वनाधिकारी
 DFO, Sonbhadra
 सोनभद्र वन प्रभाग
 सोनभद्र
 Gigi C. George
 Advocate
 Standing Counsel (UOI)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 695 of 2024

IN THE MATTER OF:

Shyam Ji Mishra

...Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh

...Respondents


REPLY/REPORT ON BEHALF OF DIVISIONAL FOREST OFFICER,
SONEBHADRA

Most Respectfully Showeth:

1. That the instant original application is registered *suo-motu* on the basis of the letter petition dated 08.10.2023 received from Shyam Ji Mishra. Wherein Complainant had alleged that for construction of Obra 'C' Thermal Power Station, about 50,000 trees were illegally cut in collusion with Authorities and now a new project of Obra 'D' Thermal Power Station has been sanctioned for which about 1 lakh trees are likely to be cut in an illegal manner causing damage to environment. Subsequently, on 27.07.2024 direction issued by Hon'ble Tribunal for factual report.
2. That the matter was listed on dated 02.09.2024 and Hon'ble Tribunal impleaded the following as respondents in the matter:



प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

- i. State of UP through Additional Chief Secretary/Principal Secretary Environment, Forest and Climate Change, Lucknow.
 - ii. Principal Chief Conservator of Forest, U.P, Lucknow.
 - iii. Divisional Forest Officer, Sonebhadra
 - iv. U.P pollution Control Board through Member Secretary at Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow-226 010
 - v. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New at Jor Bagh Rd, Lodi Colony, New Delhi, Delhi 110003
 - vi. U.P. Rajvidyut Upadan Nigam Limited, Obra, Sonebhadra through its Managing Director.
 - vii. Obra Thermal Power Project Limited, U.P. Rajvidyut Upadan Nigam Limited, Obra, Sonebhadra through its Chief General Manager.
3. That further direction given in para 5 of the order dated 02.09.2024 passed by the Hon'ble Tribunal that
- "5. From the report we find that neither it has been specified as to whether the land in which trees have been cut is a forest land or not, nor regarding the kind of trees, age and other details of the trees which were allowed to be cut by Divisional Forest Officer including, ownership of land, necessary facts have been disclosed. We are also at a loss to appreciate as to what relevant considerations were considered by Divisional Forest Officer in permitting cutting of trees since that is the requirement under the provisions of UP Protection of Trees Act, 1975. The report therefore is incomplete and does not discloses all the necessary facts."*
4. It is respectfully submitted that the department's reply/report in response to the above direction is annexed hereto as **Annexure A**.
5. It is further submitted that land plot number 2327A in the village of Billi Markundi, containing trees that were removed during the construction of


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

Obra Thermal Project 'C', is not classified as forest land. This land is not listed in the Section 20 Gazette notification, a copy of which is annexed herewith as **Annexure B**. The said land is owned by the Obra Colony, UP State Electricity Council Generation Corporation Ltd., Obra, and a certified extract of the Khatauni is enclosed herewith as **Annexure C**.

6. It is additionally submitted that, according to the records available in the office, the maps prepared at that time indicate that 4,191 and 1,156 trees were impacted by the construction of Obra Thermal Project 'C'. Details regarding the 4,191 trees located in Sectors 5, 6, and 7 of Obra Colony, which were affected by the project's construction, are provided in the list annexed as **Annexure D**. The detailed list of the 1,156 trees is annexed as **Annexure E**.
7. It is submitted that a request for permission to fell 4,191 trees located in Sectors 5, 6, and 7 of Obra Colony was submitted via a letter dated 20.11.2016 (photocopy annexed as **Annexure F**). Permission was subsequently granted by the then Divisional Forest Officer on 25.11.2016 to fell these 4,191 trees impacted by the construction of Obra Thermal Project 'C'. A copy of this permission letter is annexed as **Annexure G**.
8. Similarly, it is submitted that requests dated 13.10.2017 and 30.01.2018 sought permission to fell 1,156 trees, which was duly granted. Copies of the permission requests and the permissions granted are annexed herewith as **Annexures H and I**, respectively.


प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

Date: 12.11.2024

Place: New Delhi

Through


प्रभागीय वनाधिकारी
DFC, Sonbhadra
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

Gigi C. George

Advocate

Standing Counsel (UOI)

मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या 695/2024 श्याम जी मिश्रा बनाम् स्टेट आफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-02.09.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में विभाग के तरफ से मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में जवाब/आख्या दाखिल किये जाने का आलेख:-

1. श्री श्याम जी मिश्रा द्वारा ओबरा तापीय परियोजना 'सी' के निर्माण में काटे गये एवं ओबरा 'डी' थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए काटे जाने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में मा० एन०जी०टी० में ओ०ए० संख्या 695/2024 श्याम जी मिश्रा बनाम् स्टेट आफ यू०पी० व अन्य दाखिल किया गया, जिसमें मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-24.07.2024 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:-

1. " This Original Application has been registered in exercise of suo moto jurisdiction under Sections 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') on a letter petition dated 08.10.2023 sent by Shyam Ji Mishra alleging that for construction of colonies of Obra Power Plant i.e. Obra 'C' Thermal Power Station above 50,000 trees were cut illegally in collusion with authorities and now project for establishment of Obra 'D' Thermal Power Project has been sanctioned for which about 1,00,000 trees are likely to be cut and no compensatory plantation activities have been undertaken by the project proponent.
2. The allegations made in the letter petition give arise to substantial question relating to environment due to implementation of Scheduled enactments under NGT Act, 2010, but before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual Report for which we constitute a Joint Committee comprising District Magistrate, Sonbhadra, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Divisional Forest Officer, Sonbhadra and integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Lucknow.
3. Uttar Pradesh Pollution Control Board shall be the Nodal Agency for compliance and coordination.
4. Above Committee shall visit the site, interact with Project Proponent, as also with complainant, collect relevant information and submit a factual Report within one month to this Tribunal.
5. A copy of this order be forwarded to District Magistrate, Sonbhadra, Uttar Pradesh State Pollution Control Board, Divisional Forest Officer,

क्षेत्रीय वन अधिकारी
शला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चौपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

मुख्य वन संरक्षक
वीरजापुर क्षेत्र, सोनभद्र

Sonebhadra and integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate, Lucknow for information and compliance.

6. List this matter on 02nd September, 2024.”

2. मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश दिनांक-24.07.2024 द्वारा गठित समिति द्वारा रिपोर्ट/अभिलेख मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
3. समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये रिपोर्ट/अभिलेख का संज्ञान लेते हुए, मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा दिनांक-02.09.2024 को आदेश पारित करते हुए, मुख्य रूप से निम्नलिखित निर्देश दिया गया है:-

“...5-From the report we find that neither it has been specified as to whether the land in which trees have been cut is a forest land or not, nor regarding the kind of trees, age and other details of the trees which were allowed to be cut by Divisional Forest Officer including, ownership of land, necessary facts have been disclosed. We are also at a loss to appreciate as to what relevant considerations were considered by Divisional Forest Officer in permitting cutting of trees since that is the requirement under the provisions of UP Protection of Trees Act, 1975. The report therefore is incomplete and does not disclose all the necessary facts....”

तथा निम्नलिखित को पक्षकार बनाया गया है:-


1. State of UP through Additional Chief Secretary/Principal Secretary Environment, Forest and Climate Change, Lucknow.
2. Principal Chief Conservator of Forest, U.P, Lucknow.
3. Divisional Forest Officer, Sonebhadra
4. U.P pollution Control Board through Member Secretary at Building No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar Lucknow-226 010
5. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New at Jor Bagh Rd, Lodi Colony, New Delhi, Delhi 110003
6. U.P. Rajvidyut Upadan Nigam Limited, Obra, Sonebhadra through its Managing Director.
7. Obra Thermal Power Project Limited, U.P. Rajvidyut Upadan Nigam Limited, Obra, Sonebhadra through its Chief General Manager.

4. मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक-02.09.2024 के बिन्दु संख्या-5 में दिये गये निर्देश के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों से अवगत कराना है:-


उप प्रभागीय वनाधिकारी
चेपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र


प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र


(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र


मुख्य वन संरक्षक
श्रीरजपुर क्षेत्र श्रीरजपुर

i- अवगत कराना है कि ओबरा तापीय परियोजना 'सी' के निर्माण में काटे गये वृक्ष से आच्छादित ग्राम बिल्ली मारकुण्डी के आराजी गाटा संख्या 2327क वन भूमि नहीं है। (उक्त भूमि धारा-20 के गजट में विज्ञापित नहीं है, धारा-20 गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है-1) उक्त भूमि ओबरा कालोनी उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद उत्पादन निगम लि०, ओबरा के स्वामित्व की भूमि है। (उद्धरण खतौनी की छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-2)

ii- कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार ओबरा तापीय परियोजना 'सी' के निर्माण में प्रभावित होने वाले 4191 तथा 1156 वृक्षों की तत्समय में तैयार छपान सूची के अनुसार विवरण निम्नानुसार है:-

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले ओबरा कालोनी के सेक्टर 5, 6 व 7 में अवस्थित 4191 वृक्षों का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	प्रजाति का नाम	सेक्टर 5 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	सेक्टर 6 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	सेक्टर 7 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	कुल संख्या
1	आम	436	527	359	1322
2	नीम	163	420	178	761
3	पीपल	48	92	31	171
4	सहजन	97	162	68	327
5	लिप्टस	3	39	1	43
6	अमरुद	75	64	139	278
7	गुलर	23	35	21	79
8	बरगद	2	15	7	24
9	बैर	11	84	15	110
10	बेल	59	93	63	215
11	कदम	41	6	1	48
12	सेमल	1	11	4	16
13	जामुन	48	47	13	108
14	जंगल जलेबी	19	38	9	66
15	शहतुत	4	7	5	16
16	कटहल	41	21	32	94

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चेपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

मुख्य वन संरक्षक
बीरजापुर क्षेत्र बीरजापुर

17	इमली	1	19	6	26
18	चिलबिल	19	14	1	34
19	सागौन	1	6	2	9
20	बबूल	4	91	15	110
21	बादाम	1	8	5	14
22	आँवला	7	8	8	23
23	फूल	3	11	14	28
24	सिरस	3	30	6	39
25	गुलमोहर	3	11	0	14
26	अशोक	14	6	0	20
27	रबड़	1	2	0	3
28	नींबू	1	1	0	2
29	हरश्रृंगार	1	0	0	1
30	हरदा	1	1	0	2
31	सेहदुआ	0	1	0	1
32	शरीफा	0	6	0	6
33	जिगना	0	18	2	20
34	लीची	0	0	1	1
35	कनैल	0	0	31	31
36	गुड़हल	0	0	13	13
37	अशोक	0	0	3	3
38	कंजी	0	0	2	2
39	पपीता	0	0	7	7
40	नींबू	0	0	5	5
41	कड़ी पत्ता	0	0	2	2
42	ताड़	0	0	1	1
43	सूखा आम	9	8	17	34
44	सूखा बेल	0	0	1	1
45	सूखा नीम	1	9	1	11

क्षेत्रीय वन अधिकारी

डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चेपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

46	सूखा बबूल	0	3	0	3
47	सूखा कटहल	0	2	0	2
48	सूखा जामुन	0	1	0	1
49	सूखा लिप्टस	0	1	0	1
50	सूखा आँवला	0	0	0	0
51	परास	1	0	0	1
52	शरीफा	0	0	42	42
योग-		1142	1918	1131	4191

(विस्तृत विवरण संलग्न है, संलग्नक-3)

परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले ओबरा कालोनी के सेक्टर 2, 3 व 4 में अवस्थित 1156 वृक्षों का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	प्रजाति का नाम	सेक्टर 2, 3 व 4 में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या
1	आम	397
2	नीम	151
3	पीपल	29
4	बेल	67
5	कटहल	50
6	अमरुद	15
7	गुलर	33
8	बबूल	125
9	जामुन	30
10	चिलबिल	15
11	लिप्टस	16
12	आँवला	7
13	जंगल जलेबी	31
14	इमली	8
15	सागौन	2
16	बैर	62


क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग


उप प्रभागीय वनाधिकारी
कोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र


प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र


(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र


मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

17	कदम	13
18	सहतूत	5
19	जिगना	1
20	शीशम	3
21	सिरस	76
22	अशोक	7
23	सेमर	10
24	परास	3
योग-		1156

(विस्तृत विवरण संलग्न है, संलग्नक-4)

iii- अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-1, उ0प्र0रा0वि0 उत्पादन नि0लि0 (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम), ओबरा सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक-148/ओ0सी0ज0निखं-1 दिनांक-10.05.2016 तथा पत्रांक-240 /ओ'सी'जा निखं- /वनविभाग दिनांक-20.10.2016 द्वारा उ0प्र0 सरकार की महत्वाकांक्षी 2X660 मेगावाट ओबरा 'सी' विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जलवायु परिवर्तन विभाग से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त होने की सूचना से अवगत कराते हुए, परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाले ओबरा कालोनी के सेक्टर 5, 6 व 7 में अवस्थित 4191 वृक्षों के पातन की अनुमति मांगी गयी। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-5।) जिसके क्रम में उक्त प्रयोजनार्थ तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय के पत्रांक-1784/ओबरा/37 दिनांक-25.11.2016 द्वारा ओबरा तापीय परियोजना 'सी' के निर्माण में प्रभावित होने वाले 4191 वृक्षों के पातन किये जाने की अनुमति जारी किया गया। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-6)

इसी प्रकार अवगत कराना है कि अधिशासी अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-1, उ0प्र0रा0वि0 उत्पादन नि0लि0 (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम), ओबरा सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक-452/ओ'सी'जा नि खं- /वनविभाग दिनांक-13.10.2017 तथा पत्रांक-15/ओ'सी'जा नि खं- /वनविभाग दिनांक-30.01.2018 द्वारा 2X660 मेगावाट ओबरा 'सी' विस्तार परियोजना के राख बांध, स्वीच यार्ड, 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र एवं कोयला संचालय संयन्त्र के निर्माण हेतु ओबरा कालोनी के सेक्टर 2, 3, 4 (गांधी मैदान का आंशिक क्षेत्र) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र 'ब' ताप विद्युत गृह ओबरा क्षेत्र में में अवस्थित 1156 वृक्षों के पातन की अनुमति मांगी गयी।

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

(छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-7) जिसके क्रम में उक्त प्रयोजनार्थ तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा के कार्यालय के पत्रांक-3029/ओबरा/37 दिनांक-05.03.2018 द्वारा 2X660 मेगावाट ओबरा 'सी' विस्तार परियोजना के राख बांध, स्वीच यार्ड, राख संचालन क्षेत्र एवं 33 के0वी0 सब स्टेशन के निर्माण हेतु ओबरा कालोनी के सेक्टर 2, 3, 4 (गांधी मैदान) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र 'ब' ताप विद्युत गृह ओबरा क्षेत्र में अवस्थित 1156 वृक्षों के पातन किये जाने की अनुमति जारी किया गया। (छायाप्रति संलग्न है, संलग्नक-8)


क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग



उप प्रभागीय वनाधिकारी
चोपन, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र


प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र


(कुंज मोहन वर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
सोनभद्र वन प्रभाग
सोनभद्र


मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर

क्रम-संख्या-88 (ख)



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-81/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 15 जून, 2020
ज्येष्ठ 25, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1136/81-2-2020-20(5)/2019

लखनऊ, 15 जून, 2020

अधिसूचना

प०आ०-123

चूँकि भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या 3723/14-ख-4(67)-69, दिनांक 05-11-1969 और संख्या 6865/14-2-4(11)-70, दिनांक 21-12-1973 द्वारा नीचे अनुसूची 'क' में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और चूँकि दावों को प्रस्तुत करने के लिये नियत अवधि व्यपगत हो चुकी है ;

और चूँकि ऐसा कोई दावा स्वीकार नहीं किया गया है, किन्तु इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'ख' में उल्लिखित सीमा तक, रियायत अनुज्ञात की गयी है, जो राज्य सरकार के प्रसादानुसार वापस ली जा सकती है ;

प्राधिकृत अधिकारी/मा० न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए और सिविल अपील संख्या-12202/2018 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 05 जून, 2020 को पारित आदेश द्वारा प्रदत्त अनुज्ञा के आधार पर अनुसूची 'क' में उल्लिखित 819.785 हे० भूमि आरक्षित वन होगा ;

अतएव, अब, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची 'क' में उल्लिखित 819.785 हे० भूमि, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से आरक्षित वन होगा ।


अध्यापति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ढाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

अनुसूची 'क'

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लॉक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
सोनभद्र	रावर्टसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	1	293क	0.759
				1	318ख	0.367
				1	330	0.658
				1	329	0.493
				2	58ख	0.025
				2	59ख	0.114
				3	66ख	0.228
				4	1	126.655
				4	78	0.038
				4	79	0.063
				4	80क	0.177
				4	84ग	0.177
				4	2328ख	2.188
				5	629	0.835
				5	630	0.632
				5	631ख	0.139
				6	466	0.645
				6	469ग	0.177
				7	1719ख	1.075
				8	2008ग	0.379
				9	2110क	0.316
				9	2111क	0.266
				9	2112क	0.063
				10	259	4.363
				10	342क	0.974
				10	361	0.443
				10	372	0.658
				10	387	0.291
				10	388	0.486
				10	389ग	1.454
				10	390	0.038
				10	393क	0.759
				10	416क	1.112
				10	5752क	0.152
				10	5753क	0.228
				10	5754	0.721
10	5757ग	0.443				
10	5764	0.228				
10	5765ख	0.177				
10	5790क	0.354				
10	5793क	0.203				
10	5795	0.063				
10	5796	0.013				
10	5797क	0.152				
10	5798	0.031				

छायाप्रति प्रमाणित


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

297

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 15 जून, 2020

3

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लॉक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
सोनभद्र	रावर्दसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	10	5800	0.481
				10	5801	1.201
				10	5802ख	0.126
				10	5820क	63.321
				10	5593झ	13.809
				10	5794	0.031
				11	2745ख	0.025
				11	2753ख	1.013
				12	2736	2.289
				12	2738ग	1.429
				12	2742घ	0.974
				13	2675	1.442
				14	2656क	2.087
				14	2657	7.019
				15	2354ख	49.574
				15	2355	0.253
				15	2356	0.126
				15	2357	0.202
				15	2358	3.250
				15	2359ख	0.063
				15	2361	0.405
				15	2364	0.051
				15	2365	0.044
				15	2366	0.031
				15	2371	0.152
				15	2372ख	0.126
				15	2373	0.240
				15	2374क	3.857
				15	2375	0.025
				15	2376ख	0.152
				15	2378क	4.174
				15	2379	0.645
				15	2381	0.063
				15	2382	0.114
				15	2333छ	0.620
				16	2495	1.303
				17	2409ग	0.405
				17	2391क	0.063
				18	2688	0.228
				19	2108	0.101
				20	3658ख	0.050
				21	2886	0.190
22	2750	0.038				
23	3050घ	5.058				
23	3059ख	0.379				
24	2839ड	0.347				
25	3018ख	0.367				

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० म०)
सोनभद्र	रावटसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	25	3044ख	0.620
				26	4372ख	0.759
				27	4448क	0.379
				28	4895मि०	1.366
				28	4898क	0.063
				28	4898मि०	0.038
				29	5018	0.013
				30	5024	0.582
				31 व 78	6229घ	60.387
				32	5021	0.126
				33	5070	0.569
				33	5116	2.086
				34	5163	0.019
				35	5269	0.304
				36	5419	0.341
				37	5504	0.019
				37	5505	0.069
				37	5511ज	1.644
				37	5511 मि०	0.948
				37	5524	0.291
				37	5525	0.164
				38 व 87	4471ग	6.171
				38 व 87	4465	0.481
				38 व 87	4467	0.215
				38 व 87	4473क	0.025
				38 व 87	8015/4465	0.354
				39	5587	0.126
				39	5586 मि०	1.138
				39	5586क	0.607
				39	5588	0.341
				39	5606	0.266
				39	5607	1.037
				39	5626ख	0.468
				39	5627	0.215
				39	5628	0.215
				39	5629	0.031
				39	5630	1.947
				39	5631	0.531
				39	5706क	0.089
				39	5707ख	0.064
				39	5708	0.278
				39	5709	0.114
				39	5710	0.114
				39	5711	0.101
				39	5714	1.833
40	5592	0.228				

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

299

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 15 जून, 2020

5


जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० म०)
सोनभद्र	रावर्टसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	41	5604	0.051
				42	5620	0.013
				43	5623	1.037
				43	5624घ	0.392
				43	5780	0.152
				44	5782क	0.190
				44	5784	0.019
				45	5772	0.202
				45	5787ग	4.464
				45	5787 मि०	2.049
				45	5813	0.063
				45	5814	0.051
				46	5811	0.126
				47	5730ख	0.126
				47	5732क	0.961
				47	5746ख	0.076
				47	5748	0.506
				47	5751ख	0.190
				48	5771ग	0.126
				49	5734	0.114
				50	5740	0.051
				51	5724क	0.126
				51	5725	0.101
				51	5726	0.329
				51	5727	0.031
				52	5590	0.190
				53	5875क/2	0.582
				54	5889	0.733
				54	5890	0.519
				54	5891	0.847
				54	5893	0.013
				54	5898	0.006
				54	5899	0.013
				54	5924	0.354
				54	5926	0.013
				55	5991	0.076
				55	5992	0.139
				55	5993	0.493
				55	5994	0.089
				55	6210 मि०	0.254
55	6210ख	1.024				
55	6211 मि०	0.126				
55	6211ख	0.355				
55	6212	0.152				
55	6213	0.733				
55	6214क	0.190				
55	6214ख	0.771				

अज्ञात प्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डा. राजेंद्र, ओबरा वन प्रभाग

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
सोनभद्र	रावर्टसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	55	6215	2.377
				56	5825	0.038
				57	6221मि०	38.192
				57	6221ख	1.518
				57	5821क	29.946
				57	5822	0.177
				57	5870क	1.580
				57	5870ख	0.177
				58	6010	0.708
				58	6013	0.038
				58	6014	0.051
				58	6024	0.057
				59	6102	0.126
				60	6134	0.025
				60	6136	0.278
				61	6129ख	1.517
				62	6948	0.228
				62	6949क	1.770
				62	6952	5.375
				63	6116 क	0.759
				63	6197	0.051
				63	6198क	0.658
				63	6199	0.107
				63	6200	0.126
				63	6202	2.883
				63	6203	4.173
				63	6205	0.038
				63	6208	0.190
				63	6201	22.805
				64	6262ख	12.077
				64	6263क	0.392
				64	6264ख	3.806
				64	6265	0.506
				64	6266	0.076
				64	6268ख	1.354
				64	6275क	0.947
				64	6273क	2.112
				64	6351क	0.683
				64	6338	0.063
				64	6339क	0.455
64	6339 मि०	2.820				
64	6352	0.519				
64	6355क	1.468				
64	6422	0.164				
65	6301ग	0.278				
66	6363	0.057				
67	6238	0.873				

छायाप्रति प्रमाणित


 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
सोनभद्र	रावर्टसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी	68	7004क	0.367
				69	7699	0.658
				70	7712	1.012
				70	7731	1.163
				70	8004क	0.253
				71	2780ख	0.126
				71	2780 मि०	0.506
				71	7974क	0.240
				72	7910घ	0.279
				73	7985ग	0.240
				73	7989	1.012
				74	7108	0.013
				74	7113	0.057
				74	7117	0.304
				74	7122क	1.303
				74	7123	0.164
				74	7124	0.076
				74	7144	0.051
				74	7145	0.019
				74	7146क	0.139
				74	7147	0.013
				75	6857क	29.998
				75	7089	2.086
				75	7101	0.443
				75	7106क	65.459
				75	6859ख	1.329
				75	7109	0.139
				75	6860	0.190
				75	7225ख	2.125
				75	6825	0.316
				75	6865	0.031
				75	6866	1.581
				75	6867	0.063
				75	6868क	2.086
				75	6882	0.126
				75	6883	0.063
				75	7087	0.139
				75	7095क	0.455
				75	7045	0.550
				75	7075	0.038
75	7076क	0.025				
75	7079	0.379				
75	7081	2.655				
76	7060	0.272				
77	7236क	0.076				
79	2334ग मि०	13.823				
79	2335	0.044				
80	6250 मि०	3.654				
80	6250ग	1.075				
80	6249क	0.076				
80	6251	0.013				

अध्यापति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ढाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लाक	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे० में)
सोनभद्र	रावर्डसगंज	अगोरी	बिल्ली मारकुण्डी			
				80	6252	0.019
				80	6256क	1.706
				80	6257ख	0.227
				81	2072क	0.658
				82	1214मि०	1.126
				82	1214 मि०	0.177
				83	2327ख	1.265
				84	7407ख	3.946
				84	7442क	2.023
				84	7443	0.240
				85	7536घ	60.122
				85	7569ख	2.971
				86	3048घी	0.506
				31 व 87	4478क	35.573
				87	4477ग	1.011
				88	4495 मि०	1.544
	योग-	819.785				

छायाप्रति प्रमाणित
 क्षेत्रीय वन अधिकारी
 डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

अभ्युक्ति - सिविल अपील संख्या-12202/2018 धर्मेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय को अवगत करायी गई लगभग 223 हे० भूमि, जिसके सम्बन्ध में विभिन्न मा० न्यायालयों में वाद लम्बित हैं, सम्बन्धित मा० न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के अधधीन होगी। उपरिलिखित लगभग 223 हे० भूमि से सम्बन्धित विवरण निम्नवत है :-

ग्राम बिल्ली मारकुण्डी में अपर जिला जज के न्यायालय में लम्बित वादों का विवरण

क्र०सं०	अपील संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०में)
1	2	3	4
1	एम०ए० नं० 02/2019	6251	0.253
		6249 क मि०	0.076
		6252	0.019
		6256 क मि०	1.012
2	एम०ए० नं० 08/2019	7910 घ	0.279
3	एम०ए० नं० 11/2019	4372 ख	0.316
4	एम०ए० नं० 12/2019	388	0.486
5	एम०ए० नं० 16/2019	2334	1.796
6	एम०ए० नं० 20/2019	4898 क	0.063
7	एम०ए० नं० 21/2019	4895 मि०	1.265
8	एम०ए० नं० 23/2019	5875 क/2	0.582
9	एम०ए० नं० 24/2019	7536 घ मि०	2.151
10	एम०ए० नं० 26/2019	6355 क	1.468
11	एम०ए० नं० 30/2019	5821 क मि०	0.149
12	एम०ए० नं० 33/2019	4448 क	0.380
13	एम०ए० नं० 35/2019	7536 मि०	2.024

2330क	50.7660	
2331ग	2.5890	
3059ग	0.4170	
3886	0.0250	
3888	0.0130	
4483क	0.6580	
4484क	1.8710	
4722ग	0.1260	
28	461.2810	

योग

कृपया उक्त खर्च की प्रतिलिपि (पुखंड (गट्ट) के बाद प्रदत्त /विकल्प /प्र-तयखा /यापानवण वाली) हेतु उसका संज्ञा पर निम्नक करें

Disclaimer: उक्त अंकन के मात अतलकनारण है, उक्त निवण अतलकन है, तलसीत कणुतुर केतु खण सी.ख सी.लोकतानी केतु से तदुण की प्रतललत प्रती प्रतत की नल सतकी है ।
 Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC
 Tehsil Computer Centre.
 Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



खारातत प्रतलक

क्षेत्रीय वन अधिकारी
 दाला रंज, ओबरा वन प्रभाग

ओबरा तटीय परियोजना के आवासीय परिसर के सेक्टर 5,6 एवं 7 की भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पालन सह जीवासी से विक्रय कार्य करने के सम्बन्ध में वृक्षों का गणनांकन

SECTOR-5

क्र०	प्रजाति का नाम	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		50-60		60-70		एनएचए	
		संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि
1	आम	1	14.00	40	2800.00	79	2198.00	113	96050.00	96	210080.00	43	179596.00	64	356266.00	436	847004.00
2	नीम	0	0.00	14	396.00	46	5730.00	55	11458.00	24	10600.00	15	10000.00	9	10020.00	163	47624.00
3	पीपल	0	0.00	3	85.00	6	730.00	7	1450.00	2	833.00	2	1333.00	28	31153.00	48	35604.00
4	सहजान	0	0.00	1	7.00	17	481.00	22	4583.00	25	40416.00	18	16666.00	14	15586.00	3	8770.00
5	लिस्टस	0	0.00	2	420.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	अमरुद	1	7.00	36	1020.00	31	3875.00	7	1250.00	6	2500.00	2	1334.00	1	1115.00	2	444.00
7	गुलर	0	0.00	2	56.00	6	730.00	6	1250.00	1	416.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
8	वराणद	0	0.00	1	28.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	शैर	0	0.00	2	56.00	7	875.00	2	416.00	0	0.00	2	1333.00	0	0.00	0	0.00
10	बेल	0	0.00	6	255.00	25	3125.00	15	3125.00	11	4383.00	8	5333.00	9	10020.00	41	20590.00
11	कदम	0	0.00	4	113.00	10	1250.00	5	1041.00	5	2833.00	8	5333.00	0	0.00	9	1933.00
12	सेमल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1933.00	4	22266.00	48	91347.00
13	जासुर	0	0.00	5	350.00	7	1948.00	15	12600.00	9	19770.00	8	34413.00	0	0.00	19	4694.00
14	जंगल जलेबी	0	0.00	1	28.00	4	500.00	8	1666.00	3	1250.00	3	1250.00	0	0.00	4	586.00
15	शहजुल	0	0.00	1	28.00	2	250.00	1	308.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	41	17027.00
16	कटहल	0	0.00	2	56.00	9	1125.00	10	2083.00	9	3750.00	5	3333.00	6	6680.00	41	17027.00
17	इमली	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	416.00	0	0.00	0	0.00	1	416.00
18	दिलालिल	0	0.00	2	170.00	10	2073.00	5	3333.00	1	945.00	0	0.00	0	0.00	19	9027.00
19	सागौन	0	0.00	0	0.00	4	0.00	0	0.00	1	7500.00	0	0.00	0	0.00	1	7500.00
20	बबूल	0	0.00	1	28.00	2	250.00	1	208.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	4	486.00
21	बादाम	0	0.00	1	28.00	4	0.00	9	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	28.00
22	अर्बला	0	0.00	0	0.00	2	250.00	3	625.00	1	416.00	1	666.00	0	0.00	7	1957.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
ओबरा रेंज, ओबरा वन प्रभाग

कार्यालय, ओबरा

क्र० सं०	प्रजाति का नाम	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		50-60		60-70		70-80	
		संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
23	फूल	1	0.00	0	0.00	1	125.00	1	208.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
24	सिरिस	0	0.00	1	28.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1332.00	0	0.00	3	2445.00
25	तुलसीहर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	1332.00	1	1113.00	14	2506.00
26	अशोक	0	0.00	11	311.00	0	0.00	0	0.00	1	416.00	1	666.00	0	0.00	1	416.00
27	रघु	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	416.00	0	0.00	0	0.00	1	125.00
28	नींबू	0	0.00	0	0.00	1	125.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	125.00
29	हरभार	0	0.00	0	0.00	1	125.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	108.00
30	हरदा	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	208.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
31	सूजा आम	0	0.00	0	0.00	2	1670.00	5	3131.00	2	3375.00	0	0.00	0	0.00	9	8176.00
32	सूजा नीम	0	0.00	0	0.00	1	281.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	281.00
33	घास	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	208.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	208.00
	योग	3	21.00	136	6263.00	269	2776.00	283	145409.00	199	309945.00	713	260520.00	139	466188.00	142	1216992.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी
उप प्रभारित वन अधिकारी

डा. राजेंद्र प्रसाद

प्रभारी वन अधिकारी

आवर वन अधिकारी

आवर वन अधिकारी

स्वायत्त प्रमाणित
क्षेत्रीय वन अधिकारी
डा. राजेंद्र, आगरा वन प्रभाग

17.3.17

ओबरा राष्ट्रीय परिवोजना के आवासीय परिसर के सेक्टर 5,6 एवं 7 की भूखण्ड पर अवस्थित वृक्षों के पातल सह नीलामी से विक्रय कार्य कराने के सम्बन्ध में वृक्षों का सूचकांक

SECTOR-6

क्र० सं०	प्रजाति का नाम	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		50-60		60-70		एनराशि	
		संख्या	एनराशि	संख्या	एनराशि	संख्या	एनराशि	संख्या	एनराशि	संख्या	एनराशि	संख्या	एनराशि	संख्या	एनराशि	संख्या	एनराशि
1	शाम	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	नीम	1	42.00	26	1820.00	85	23658.00	134	168840.00	121	265796.00	81	338310.00	79	439766.00	527	1238232.00
3	पीपल	2	14.00	48	1360.00	113	14125.00	133	27708.00	75	31250.00	32	21333.00	17	18926.00	420	114716.00
4	सहजान	0	0.00	2	56.00	4	500.00	2	416.00	7	21116.00	5	6000.00	71	79046.00	92	88134.00
5	सिस्टस	0	0.00	8	226.00	16	2000.00	46	9583.00	45	18750.00	22	14666.00	25	27833.00	162	73058.00
6	अमरुद	0	0.00	0	0.00	2	833.00	1	666.00	6	6680.00	8	15600.00	0	0.00	39	85012.00
7	गुलर	3	21.00	39	1105.00	19	2375.00	2	416.00	1	416.00	0	0.00	9	6000.00	35	10727.00
8	बरगद	0	0.00	1	28.00	2	250.00	2	416.00	1	416.00	6	4000.00	3	340.00	15	8450.00
9	बैर	0	0.00	24	680.00	37	4625.00	19	3958.00	1	416.00	2	1333.00	1	1433.00	84	12445.00
10	बेल	0	0.00	23	651.00	31	3875.00	20	4166.00	19	7916.00	0	0.00	0	0.00	93	16608.00
11	कदम	0	0.00	1	28.00	0	0.00	2	416.00	1	416.00	2	1339.00	0	0.00	6	2199.00
12	सेमल	0	0.00	0	0.00	3	218.00	2	1339.00	3	4100.00	0	0.00	3	7520.00	11	13177.00
13	जामुन	0	0.00	4	280.00	10	2783.00	10	8400.00	13	28556.00	1	4116.00	9	50100.00	47	94235.00
14	जगत जलोबी	0	0.00	5	141.00	9	1125.00	10	2083.00	11	4583.00	2	1333.00	1	1113.00	38	10378.00
15	शरबुत	0	0.00	3	85.00	4	500.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	7	585.00
16	फटहल	0	0.00	1	28.00	2	250.00	7	1458.00	8	5333.00	0	0.00	3	3340.00	21	10409.00
17	इमली	0	0.00	6	170.00	4	500.00	2	416.00	5	1280.00	2	1333.00	0	0.00	19	3699.00
18	खिलबिल	1	14.00	3	256.00	7	1446.00	1	666.00	1	1366.00	1	1933.00	0	0.00	14	5681.00
19	सागौन	0	0.00	2	350.00	4	1349.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	6	1729.00
20	बबूल	5	35.00	44	1246.00	22	4583.00	19	7916.00	1	666.00	0	0.00	0	0.00	91	14446.00
21	बादाम	0	0.00	2	56.00	1	125.00	2	416.00	1	416.00	2	1333.00	0	0.00	8	2346.00
22	ओबला	0	0.00	1	28.00	2	250.00	4	832.00	1	416.00	0	0.00	0	0.00	8	1526.00

अध्यापक प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

ओबरा तारीख परियोजना के आवासीय परिसर के सेक्टर 5,6 एवं 7 की भूखे पर अवस्थित वृक्षों के पालन सह बीजाबी से विकस्य कार्य कमाने के सम्बन्ध में वृक्षों का गणनांकन

SECTOR-7

क्र० सं०	प्रजाति का नाम	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		50-60		60-70		संख्या	घनराशि
		संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि	संख्या	घनराशि		
1	आम	2	28.00	26	1820.00	56	15586.00	80	68000.00	80	32950.00	55	229716.00	60	334000.00	359	682100.00
2	नीम	0	0.00	12	340.00	46	5750.00	59	12291.00	40	16666.00	13	8866.00	8	8906.00	178	52819.00
3	पीपल	1	7.00	3	85.00	3	375.00	0	0.00	2	833.00	0	0.00	22	24493.00	51	25793.00
4	सहजान	0	0.00	7	198.00	3	375.00	20	4166.00	17	7083.00	15	10900.00	6	6680.00	68	28502.00
5	लिट्टेस	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	666.00	0	0.00	0	0.00	1	1113.00	139	13037.00
6	अमरुद	8	56.00	69	1955.00	49	6125.00	7	1458.00	4	1664.00	1	666.00	2	2226.00	21	4692.00
7	गुलर	1	7.00	9	257.00	4	500.00	3	625.00	1	416.00	1	666.00	1	1113.00	7	2501.00
8	बगद	0	0.00	2	56.00	2	250.00	0	0.00	1	416.00	1	666.00	1	1113.00	15	1903.00
9	केर	0	0.00	4	112.00	6	750.00	5	1041.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	63	16266.00
10	बैल	0	0.00	7	196.00	13	1625.00	26	5416.00	11	4583.00	5	3333.00	1	1113.00	1	28.00
11	कदम	0	0.00	1	28.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	5000.00	4	5413.00
12	सेमल	0	0.00	0	0.00	2	413.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	16700.00	13	37848.00
13	जामुन	0	0.00	1	70.00	1	278.00	2	1680.00	3	6590.00	3	12530.00	3	16700.00	13	37848.00
14	जंगल जलेबी	0	0.00	4	112.00	1	125.00	0	0.00	3	2000.00	1	1113.00	0	0.00	9	3350.00
15	राहगुल	0	0.00	2	56.00	2	250.00	1	840.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	1146.00
16	कटहल	0	0.00	3	85.00	6	750.00	8	1666.00	9	3750.00	3	2000.00	3	3340.00	32	11591.00
17	झुमली	0	0.00	1	28.00	1	125.00	3	625.00	1	416.00	0	0.00	0	0.00	6	1194.00
18	खिलखिल	0	14.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	945.00	0	0.00	0	0.00	1	959.00
19	सामान	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	674.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	674.00
20	बबूल	6	42.00	8	226.00	1	125.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	15	393.00
21	बादाम	1	7.00	1	28.00	3	375.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	410.00
22	औरत	2	14.00	2	56.00	2	250.00	2	416.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	8	736.00

आवासीय परियोजना

क्षेत्रीय वन अधिकारी
जाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

क्र.सं.	प्रजाति	0-10		11-20		21-30		31-40		41-50		51-60		61-70		कुल							
		वृक्ष	फल	वृक्ष	फल	वृक्ष	फल	वृक्ष	फल	वृक्ष	फल	वृक्ष	फल	वृक्ष	फल								
1	अन	0	0	24	1386	81	18609.75	125	8662.5	62	14860.5	4	28996	29	99926.8	2	27566	45	106662.5	5	91850	710226.5	
2	नीम	0	0	12	692	45	10338.75	50	34650	28	50743	3	21747	6	20674.5	2	27566	3	13777.5	2	13777.5	216929.75	
3	दीपल	0	0	0	0	0	0	1	172	1	343.75	0	0	4	2200	0	0	23	21125.5	0	0	23841.25	
4	देल	0	0	6	141	26	2684.5	25	4300	5	1718.75	0	0	2	1100	0	0	3	2755.5	0	0	12699.75	
5	कारुल	0	0	5	117.5	12	1239	13	2236	16	5500	0	0	2	1100	0	0	2	1837	0	0	12029.5	
6	अनसद	0	0	5	117.5	9	929.25	1	172	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6429.5	1	3674	15114.75	
7	गुजर	0	0	4	94	7	722.75	6	1032	6	2062.5	0	0	2	1100	0	0	5	4592.5	0	0	23404.5	
8	धूल	0	0	16	376	38	3923.5	50	8500	14	4812.5	0	0	2	1100	0	0	5	4592.5	0	0	60331.25	
9	जातुन	0	0	2	115.5	3	689.25	11	7623	9	16310.3	0	0	1	3445.75	0	0	3	13777.5	1	18370	6718.5	
10	विलविल	0	0	0	0	8	1364	4	2200	2	1559.5	0	0	1	1595	0	0	0	0	0	0	6718.5	
11	विटस	0	0	0	0	0	0	1	550	8	7348	0	0	2	3217.5	0	0	5	11481.25	0	0	23596.75	
12	अलि	0	0	1	23.5	5	516.25	1	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711.75	
13	जाल जाली	0	0	3	70.5	15	1548.75	9	1548	2	687.5	0	0	0	0	0	0	2	1837	0	0	5691.75	
14	इली	0	0	1	57.75	2	459.5	1	693	0	0	0	0	2	6891.5	0	0	2	9185	0	0	17286.75	
15	सागीन	0	0	0	0	0	0	2	3712.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3712.5	
16	इर	0	0	21	493.5	36	3717	4	688	1	343.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5242.25	
17	यारन	0	0	0	0	2	206.5	6	1032	4	1375	0	0	0	0	0	0	1	918.5	0	0	3532	
18	सदरुत	0	0	1	23.5	3	309.75	0	0	1	343.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677	
19	जिगा	0	0	0	0	0	0	1	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	
20	शिवान	0	0	1	75.75	0	0	0	0	1	3712.5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20700	33488.25	
21	गिरि	0	0	6	346.5	21	4824.75	41	28413	7	12685.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64640	
22	अशोक	0	0	0	0	5	516.25	2	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860.25	
23	सैर	0	0	0	0	3	511.5	4	2200	0	0	0	0	1	1595	0	0	2	4136	0	0	8442.5	
24	पारल	0	0	0	0	0	0	2	344	0	0	0	0	1	550	0	0	0	0	0	0	894	
				108	4131.5	321	53111	360	187478.5	187	258151	7	50743	55	144496	4	55132	103	298515.25	14	198704		1250462.25

(अनिल कुमार सिंह)
वन दरोगा, डाला रेंज

(विशुगी नारायण)
अवर अभियन्ता

श्रीनील वन अधिकारी
डाला रेंज
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र

(प्रभाकर मोरारी)
अधिशारी सहायक

श्रीनील वन अधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

1156

312

CIN-U40101UP1980SGC005065

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-1
उ०प्र०रा०वि०उत्पादन नि०लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
पो० आ० : ओबरा 231219
जिला : सोनभद्र (उ०प्र०)



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
OBRA 'C' CIVIL CONSTRUCTION DIVISION-I
U.P.R.VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. Govt. Undertaking)
P.O.: OBRA - 231219
DISTRICT: SONBHADRA (UP)

पत्रांक: 140 / ओ'सी' जानिखं-1

दिनांक: 10/5/16

विषय: ओबरा कालोनी के सेक्टर 5,6 एवं 7 में स्थित पेड़ों को काटे जाने के सम्बन्ध में।

→ प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा रेंज,
ओबरा, सोनभद्र।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि 2X660 मेगावाट ओबरा 'सी' विस्तार परियोजना लगाने हेतु एम०ओ०ई०एफ० से अनुमति प्राप्त हो गई है। उक्त परियोजना ओबरा कालोनी के सेक्टर 5,6 एवं 7 स्थित भूमि पर लगाना प्रस्तावित है। जिराके लिये आवश्यक सेक्टर 5, 6 एवं 7 के क्षेत्रों को खाली कराने व ध्वस्तीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वहा पर स्थित पेड़ों को भी वन विभाग के माध्यम से काटा जाना है जिसके लिये वन विभाग द्वारा औपचारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण पेड़ों को काटे जाने का कार्य नहीं हो पा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ओबरा कालोनी के सेक्टर 5, 6 एवं 7 में स्थित पेड़ों को वन विभाग के माध्यम से काटे जाने हेतु पेड़ों का छपान कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का कष्ट करे ताकि उक्त परियोजना के प्रस्तावित स्थल में स्थित पेड़ों की कटाई करके कार्य स्थल को रिक्त करवाया जा सके है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- यथा उपरोक्त।

प्रभागीय वनाधिकारी

हेमरा भाषकर वनाधिकारी

पत्रांक:

पु०व०अ०
ओबरा

13/05/2016

ओ'सी' जा.नि.खं-1 / तद दिनांक-

अध्यापति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

(मकसूद अन्तारी)
अधिशासी अभियन्ता

10.05.16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण मण्डल, ओबरा।
02. डिप्टी लाइनिंग मैनेजर, वन विभाग चोपन रोड, ओबरा।
03. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-प्रथम।



(मकसूद अन्तारी)
अधिशासी अभियन्ता

4 P.T. 00

313

CIN-U40101UP1980SGC005065

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-
उ० प्र० रा० वि० उत्पादन नि० लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

पत्रालय : ओबरा 231219

जिला : सोनभद्र (उ०प्र०)



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

OBRA 'C' CIVIL CONSTRUCTION DIVISION-I

U.P.R.VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

(A U.P. Govt. Undertaking)

P.O.: OBRA - 231219

DISTRICT: SONEBHADRA (UP)

पत्रांक: 240/ओ'सी'जा नि खं-1/वनविभाग

दिनांक : 20 अक्टूबर, 2016

विषय: ओबरा कालोनी के सेक्टर - 5, 6 व 7 में स्थित पेड़ों के पातन हेतु अनुमति एवं कटान के सम्बन्ध में

सन्दर्भ : प्रभारी वनाधिकारी ओबरा का पत्रांक 4055/ओबरा/37/दि० 24.05.2016

क्षेत्रीय वनाधिकारी

डाला रेंज, ओबरा वनप्रभाग

ओबरा-सोनभद्र

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि उ० प्र० सरकार की महत्वाकांक्षी 2x660 मेगावाट ओबरा 'सी' विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा जलवायु परिवर्तन विभाग से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त हो गई है। उक्त परियोजना का निर्माण ओबरा कालोनी के सेक्टर-5, 6 एवं 7 की भूमि पर प्रस्तावित होने के परिपेक्ष्य में इन सेक्टरों में अवस्थित भवनों एवं संयंत्रों को तोड़ने का कार्य प्रगति पर है। जबकि पेड़ों के पातन का कार्य भी प्राथमिकता पर संपन्न कराया जाना आवश्यक है। निगम मुख्यालय, लखनऊ के निर्देशानुसार कार्यस्थल को रिक्त कर कार्यदायी फर्म को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाना है।

उपरोक्त प्रयोजनार्थ इन सेक्टरों की भूमि पर अवस्थित पेड़ों के पातन की अनुमति एवं कटान हेतु वन विभाग द्वारा संबंधित पेड़ों पर छपान कराकर मूल्यांकन सहित सूची उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई गई थी। इस प्रकरण में आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुक्रम में वन विभाग के श्री त्रिलोकी दूबे, वन दरोगा के साथ इस कार्यालय के श्री त्रियुगी नारायण, अवर अभियन्ता द्वारा संयुक्त रूप से इन सेक्टरों के पेड़ों का छपान किया गया है जिसका मूल्यांकन व गाटा सं० अंकन सहित संयुक्त हस्ताक्षरित कुल 4191 नग वृक्षों की सूची तथा इस भूमि एवं तदानुसार पेड़ों का स्वामित्व ओबरा तापीय परियोजना का होने के प्रमाण में खतौनी के प्रति सहित सजरा प्लान समेत सम्पूर्ण विवरण इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इन सेक्टरों की भूमि पर अवस्थित पेड़ों के पातन की अनुमति प्रदान कराने एवं कटान हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर संपन्न कराने का कष्ट करें।

आया प्रति प्रमाणित

संलग्नक : यथोपरोक्त

क्षेत्रीय वन अधिकारी

डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

पत्रांक : 240/ओ'सी'जा.नि.खं-1/वनविभाग/तद दिनांक 20.10.2016

(मकसूद अन्सारी)

अधिशासी अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण में प्राथमिकता पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण मण्डल, ओबरा, सोनभद्र ।

(मकसूद अन्सारी)

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।
पत्रांक-1784/ओबरा/37 दिनांक, 25/11/2016.
सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता
ओबरा सी जानपद निर्माण खण्ड-1
उ०प्र० राज्य वि० उत्पादन नि०लि०
ओबरा-सोनभद्र।

विषय:- ओबरा कालोनी के सेक्टर- 5, 6 व 7 में स्थित पेड़ों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 240/ओ०सी०जा०नि०ख०-1/वन विभाग/37 दिनांक 24.5.2016 एवं 253/ओ०सी०जा०नि०ख०-1/दिनांक 18.11.2016

महोदय,

सन्दर्भित पत्रों के क्रम में ओबरा कालोनी के सेक्टर 5, 6 एवं 7 में स्थित 4191 वृक्षों की पातन हेतु अनुज्ञा निम्न शर्तों पर दी जाती है:-

1. उ०प्र० वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत आप द्वारा 4191 वृक्षों के पातन के स्थान पर दुगुने वृक्ष वर्षाकाल में लगवाने हेतु धनराशि जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 की धारा-9 का उल्लंघन माना जायेगा।
2. वृक्ष कटान के समय जान माल आदि का खतरा न उत्पन्न होने पाये।
3. पातन केवल उन्हीं वृक्षों का किया जाय जो सूची में प्रस्तावित है।
4. पातन किये गये वृक्षों को अन्यत्र ले जाने हेतु प्रभागीय कार्यालय से अभिवहन पास लेना तथा उक्त पेड़ों के सापेक्ष नियमानुसार अभिवहन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

आयाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

पत्रांक 1784 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वनाधिकारी डाला रेंज की उनके पत्र संख्या 98/चोपन/37 (वृक्षों की गणना) दिनांक 22.10.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त काटे जाने वाले 4191 वृक्ष के स्थान पर दुगुने अर्थात् 8382 वृक्षों के रोपण हेतु अनुरक्षण सहित धनराशि का अनुमान पत्र तैयार कर धनराशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यावाही करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी चोपन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

भववीय,

(अमर बहादुर)

प्रभागीय वनाधिकारी,

ओबरा वन प्रभाग, ओबरा, सोनभद्र।

संलग्नक - 07

U40101UP1980SGC005065

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-1

उ०प्र०रा०वि०उत्पादन नि०लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

पौ० आ० : ओबरा 2312

जिला : सोनभद्र (उ०प्र०)



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
OBRA 'C' CIVIL CONSTRUCTION DIVISION-I
U.P.R. VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A.U.P. Govt. Undertaking)
P.O. OBRA - 231219
DISTRICT: SONEBHADRA (UP)

पत्रांक: /ओसी जा.नि.खं-1/ वन विभाग

दिनांक 13.10.17

विषय:- 2x660 मेगावाट ओबरा सी विस्तार परियोजना के राख बांध, स्वीच यार्ड, 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र एवं कोयला संचालन सयन्त्र के निर्माण हेतु ओबरा कालोनी के सेक्टर-2,3,4(गांधी मैदान अंशिक क्षेत्र) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र 'ब' ताप विद्युत गृह ओबरा के क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों के पातन हेतु अनुमति एवं कटान के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग
ओबरा - सोनभद्र।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि 2x660 मेगावाट ओबरा सी विस्तार परियोजना का निर्माण कार्य कार्यदायी एजेन्सी मेसर्स डी०पी०एस०आई० दक्षिणी कोरिया द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी क्रम में राख बांध, स्वीच यार्ड, 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र एवं कोयला संचालन सयन्त्र के निर्माण हेतु ओबरा कालोनी के सेक्टर-2,3,4(गांधी मैदान का अंशिक क्षेत्र) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र 'ब' ताप विद्युत गृह, ओबरा के क्षेत्र में अवस्थित वृक्षों के पातन के पश्चात उपरोक्त क्षेत्र कार्यदायी एजेन्सी को उपलब्ध करावाये जाने हेतु निगम मुख्यालय लखनऊ से लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं जिसके लिए आवश्यक सेक्टर-2,3 एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र 'ब' ताप विद्युत गृह, ओबरा के क्षेत्र में स्थित आवास/भण्डार तोड़वाये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उपरोक्त क्षेत्रों में स्थित वृक्षों के पातन का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त प्रयोजनार्थ इन सेक्टरों की भूमि पर अवस्थित पेड़ों के पातन की अनुमति एवं कटान हेतु वन विभाग द्वारा सम्बन्धित पेड़ों पर छपान कराकर मूल्यांकन सहित सूची उपलब्ध कराने की आवश्यकता बतायी गयी है इस प्रकरण में आप द्वारा नामित श्री अनिल कुमार सिंह, वन दरोगा के साथ इस कार्यालय के श्री त्रियुगी नारायण, अवर अभियन्ता द्वारा सयुक्त रूप से उपरोक्त क्षेत्र के वृक्षों का छपान किया गया है जिसका मूल्यांकन व गाटा सं० अंकन सहित हस्ताक्षरित कुल 1156 नग वृक्षों की सूची तथा इस भूमि एवं तदानुसार वृक्षों का स्वामित्व ओबरा तापीय परियोजना का होने के प्रमाण में खतौनी की प्रति सहित सजरा प्लान समेत सम्पूर्ण विवरण इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त क्षेत्रों की भूमि पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति प्रदान कराने एवं कटान हेतु आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता पर सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

छायाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

(मकसूद अन्सारी)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक: 152 /ओसी जा.नि.खं-1/ तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. मुख्य अभियन्ता(निर्माण) ओबरा 'सी' तापीय परियोजना, ओबरा।
02. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की इस महत्वपूर्ण प्रकरण में प्राथमिकता पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
03. अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण मण्डल-1, ओबरा।
04. सहायक अभियन्ता ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-1, ओबरा।



प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा

पुनः 90 आ
ओबरा
13/10/17

13.10.17

(मकसूद अन्सारी)
मुख्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा
पत्रांक 1286 /ओबरा/37-1/दिनांक 23-10-17
प्रतिलिपि से लभ्युक्त सहित क्षेत्रीय वनाधिकारी डाला रेंज के लिए निर्देश के साथ एवं 36 पर होने वाले कार्य वृक्षों के पातन के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुरोध है।
23/10/17

CC

316

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
ओबरा 'सी' जानपद निर्माण खण्ड-1
उ०प्र०रा०वि०उत्पादन नि०लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
पो० आ० : ओबरा 2312119
जिला : सोनगढ़ (उ०प्र०)



OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
OBRA 'C' CIVIL CONSTRUCTION DIVISION-I
U.P. R. VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. Govt. Undertaking)
P.O.: OBRA - 231219
DISTRICT: SONEBHADRA (UP)

पत्रांक: 15/ओ'सी'जानिखं-1/वन विभाग

दिनांक: /दिसम्बर, 2017-30.01.18

विषय:- 2X660 मेगावाट ओबरा 'सी' विस्तार परियोजना के राख बॉध स्वीच यार्ड राख संचालन क्षेत्र एवं 33 के० वी० सब स्टेशन के निर्माण हेतु ओबरा कालोनी के सेक्टर- 2,3,4(गांधी मैदान) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र 'ब' ताप विद्युत गृह ओबरा के क्षेत्र में स्थित पेड़ों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1669/ओबरा/37 दिनांक 15.11.2017 एवं 1888/ओबरा/16 एफ-1 दिनांक 30.11.2017।

→ प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग,
ओबरा-सोनभद्र।

महोदय,

कृपया अवगत हो कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के सन्दर्भ में सेक्टर-2,3,4 (गांधी मैदान) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र 'ब' ताप विद्युत गृह ओबरा के क्षेत्र में अवस्थित 1156 वृक्षों के पातन के बदले 6712 वृक्षों के वर्षाकाल में रोपड़ एवं 1156 वृक्षों के पातन अनुज्ञा हेतु पातन अनुज्ञा शुल्क रू० 100.00 प्रति वृक्ष की दर से कुल धनराशि रू० 933588.00 मूल्य का बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा-ओबरा से निर्गत डी०डी०न०-327617 दिनांक 28.12.2017 जो प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग,ओबरा-सोनभद्र के पक्ष में देय है दिनांक 30.12.2017 को जमा कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त वर्णित क्षेत्र में वृक्षों के अवस्थित होने से उ०प्र० राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना 2X660 मेगावाट ओबरा 'सी' विस्तार परियोजना के निर्माण कार्य हेतु किलयर क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है जिसके लिये निगम मुख्यालय से क्षेत्र शिघ्रातिशीघ्र मे० डी०पी०एस०आई० को उपलब्ध कराने हेतु लगातार निर्देश प्राप्त हो रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वर्णित क्षेत्रों में अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें जिससे किलयर कार्य स्थल कार्यदायी एजेन्सी मे० डी०पी०एस०आई० को ससमय उपलब्ध कराया जा सके।

छायाप्रति प्रमाणित

संलग्नक: यथाउपरोक्त

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग


(मकसूद अन्तारी)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक: /ओ'सी'जा.नि.खं-1/तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 01- मुख्य अभियन्ता (निर्माण) 'स' ताप विद्युत गृह ओबरा
- 02- अधीक्षण अभियन्ता, ओबरा 'सी' जानपद निर्माण मण्डल-1, ओबरा।
- 03- प्रभागीय विकय प्रबन्धक, उ०प्र० वन निगम, दुद्धी सोनभद्र।
- 04- सहायक अभियन्ता ओ०सी०सी०सी०डी० -1, ओबरा।

(मकसूद अन्तारी)
अधिशासी अभियन्ता



समस्त प्रभागीय वन अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है।
Bimsd
को संज्ञा प्रेषित
ओबरा

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

पत्रांक 3029

/ ओबरा / 37

दिनांक 5-3-2018

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
ओबरा सी जानपद निर्माण खण्ड-1,
30प्र0रा0नि0 उत्पादन नि0लि0,
ओबरा सोनभद्र।

विषय:- 2X660 मेगावाट ओबरा सी विस्तार परियोजना के राख बाँध स्वीच यार्ड राख संचालन क्षेत्र एवं 33 के0 वी0 सब स्टेशन के निर्माण हेतु ओबरा कालोनी के सेक्टर- 2, 3, 4 (गांधी मैदान) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र ब ताप विद्युत गृह ओबरा के क्षेत्र में स्थित पेड़ों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 15/ओ.सी.जा.नि.ख.-1 /वन विभाग/दिनांक 30.01.2018

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के क्रम में ओबरा कालोनी के सेक्टर 2, 3, 4 (गांधी मैदान) एवं केन्द्रीय भण्डार क्षेत्र ब ताप विद्युत गृह ओबरा के क्षेत्र में अवस्थित 1156 वृक्षों के पातन की अनुमति निम्न शर्तों पर दी जाती है।

1. वृक्ष काटने के समय जान माल आदि का खतरा न उत्पन्न होने पाये।
2. पातन केवल उन्हीं वृक्षों का किया जाय जो सूची में प्रस्तावित है।
3. पातन किए गये वृक्षों को अन्यत्र ले जाने हेतु प्रभागीय कार्यालय से अभिवहन पास लेना तथा उक्त पेड़ों के सापेक्ष नियमानुसार अभिवहन शुल्क जमा करना अनिवार्य है।

कियाप्रति प्रमाणित

क्षेत्रीय वन अधिकारी
डाला रेंज, ओबरा वन प्रभाग

पत्रांक:- 3029

अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि- क्षेत्रीय वनाधिकारी डाला रेंज को सूचनार्थ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप उक्त कटान एवं निकासी पर निगरानी रखना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, 30प्र0 वन निगम दुधौ सोनभद्र को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(अमर बहादुर)

वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

(अमर बहादुर)

वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी,
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा-सोनभद्र।

or